न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज0)
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत/अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा

नामा.अपील सं.3/2017

अपीलाण्ट
श्री हीरालाल पुत्र श्री पुनमाजी पुरोहित निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही

बनाम रेस्पोडेण्टस

1– वागा पुत्र श्री तोलाजी जाति पुरोहित नि.हालीवाडा तहसील व हिहजला सिरोही के कायम मुकाम एवं वारिसान :–
1(1) प्रकाशकुमार पुत्र स्व.वागाजी पुरोहित नि.हालीवाडा
1(2) सुबटी पुत्री स्व. वागाजी पत्नि श्री पुखराज पुरोहित नि.हालीवाडा हाल नि.फुंगणी तह.व जि.सिरोही
1(3) भागु पुत्री स्व.वागाजी पत्नी श्री भरतजी पुरोहित निवासी हालीवाडा तह.सिरोही हाल नि.दांतराई तह.रेवदर जिला सिरोही
1(4) गीता पुत्री श्री स्व.वागाजी पत्नी श्री लक्ष्मणजी जाति पुरोहित नि.हालीवाडा तह.सिरोही हाल सिलदर तहसील व जिला सिरोही
1(5) उकी पत्नी श्री स्व.वागाजी जाति पुरोहित निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही
1(6) नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री स्व.वागाजी जाति पुरोहित निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही के कायम मुकाम एवं वारिसान :–
1(6)/1 इन्दु बेन पत्नी श्री स्व.नरेन्द्रकुमार पुरोहित निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/सिरोही
3–सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा तह.व जि.सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

उपस्थित :–
1– अपीलाण्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री कैलाशनामा
2– रेस्पोडेण्ट संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही
3– रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व करने
नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा

निर्णय दिनांक 4–6–2018

अपीलाण्ट ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 तक की इस न्यायालय मे दिनांक 7–7–2017 को पेश की है उक्त अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का भी पेश किया है उक्त प्रार्थनापत्र को न्यायहित मे प्रार्थी का सद्भाविक कारण अपील देरीना पेश करने का प्रार्थी व्यवसाय हेतु सुरत मे रहने व जमाबंदी की नकल लेने की जानकारी के बाद अपील पेश करने से अपील देरीना अवधि को माफ कर प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर म्याद माना गया है।

अपीलाण्ट ने अपील मे निवेदन यह किया कि संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हालीवाडा पटवार हल्का मडिया भू.अ.नि. तंवरी तहसील व जिला सिरोही मे स्थित खसरा नंबर 206 नया पुराना खसरा नंबर 164 रकबा 7 बीघा 04 विस्वा भूमि वर्गीकरण बारानी 2 आई हुई है। जिसे अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के पिता स्व. वागा पुत्र तोला से उक्त वर्णित आराजी को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2005 मे खरीद किया था/जिसके पंजीयन क्रमांक के जिल्द संख्या 9 मे लेखा पत्र संख्या 528/2005 पृष्ठ संख्या 2240 से 2243 पर पंजीयन कर पुस्तक संख्या 1की अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 के जिल्द संख्या 9 के पृष्ठ संख्या 2240 से 2243 पर इन्द्राज किया हुआ है। वागाराम की मृत्यु होने पर रेस्पोडेण्ट को उक्त बेचान की जानकारी होने के उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम से नामान्तकरण करवाया दर्ज हुआ है जिससे उक्त नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 को निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्वर्गीय वागा पुत्र श्री तोलाजी जाति पुरोहित निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही के कायम मुकाम एवं वारिसान के नाम 1(1)/से 1(6) के नाम जो पुत्र/पत्नी व पुत्रीयों के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज है और स्वर्गीय वागा का स्वर्गवास हो चुका हैं जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट वागा पुत्र तोला से उक्त वर्णित कृषि आराजी को जरिये विक्रय लेख दिनांक 5–12–2005 मे खरीद किया था उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्व होकर अपीलाण्ट के पक्ष मेरेस्पोडेण्ट के द्वारा किया गया है व उक्त कृषि आराजी का कब्जा भी अपीलाण्ट को सुपुर्द कर दिया था और वक्त

उप-खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

रजिस्टरी से अपीलाण्ट उक्त कृषि आराजी पर बतौर मालिक काबिज है। परन्तु उक्त रजिर्स्टड बेचान होने के उपरान्त भी राजस्व अधिकारियों ने बिना रेकर्ड देख के केवल अपनी सुविधानुसार राजस्व कार्यालय मे बैठकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वागाराम की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से उक्त कृषि आराजी को जरिये विक्रय विलेख प्रतिफल अदा कर खरीद किया है लेकिन संबंधित पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 दर्ज करने की कार्यवाही की गई उस समय राजस्व रेकर्ड को अनदेखा कर अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही किया गया । स्वर्गीय वागा पुत्र तोला के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट हीरालाल पुत्र श्री पुनमाजी के नाम से दर्ज करना था क्योंकि अपीलाण्ट ने उक्त कृषि आराजी को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वागा पुत्र तोला से जरिये विक्रय विलेख खरीद किया था और उसके पश्चात रेस्पोडेण्ट कुछ वर्षो के बाद मृत्यु हो चुकी थी । उसके बावजूद भी राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण संख्या 236 संबंधित पटवारी पटवार हल्का मडिया द्वारा भरवाकर तहसीलदार,सिरोही से स्वीकृत करवा दिया है जो कानूनन अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट की यह अपील बाद रेकर्ड तलब व जांच व बहस स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 को निरस्त कर पुनः नयेसर नामान्तकरण अपीलाण्ट के हक मे नामान्तकरण दर्ज करने बाबत तहसीलदार,सिरोही को आदेश प्रदान करवाना फरमावें ।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2015,मौजा हालीवाडा की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 205 खसरा नंबर 206 रकबा 1.16 हेक्टेयर व नामान्तकरण संख्या 236 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो अपील मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 7–7–2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को जवाब पेश करने हेतु सम्मनस जारी किये गये । जिस पर रेस्पोडेण्टगण के सम्मन तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 15–9–2017 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–11–2017 को दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 1(1) से 1(6) तक को सम्मन तामिली होने के बावजद निरन्तर हाजिर नही हो रहे है। आज भी दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर नही है। न्यायालय द्वारा उक्त रेस्पोडेण्टस को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील प्रतिनिधि कोई भी हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1(1) से 1(6) तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । यह पत्रावली रेस्पोडेण्ट संख्या 2 स्टेट के जवाब हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 18–12–2016 को रखी गई ।

दिनांक 12–3–2018 को न्यायालय मे प्रकरण की सुनवाई के दौरान वकील अपीलाण्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा को पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया । दिनाक 6–4–2018 को न्यायालय मे बाद सुनवाई उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का न्यायहित मे स्वीकार किया तथा वकील अपीलाण्ट को संशोधित अनवान पेश करने का आदेश दिया जिस पर वकील अपीलाण्ट ने इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–4–2018 को संशोधित अनवान पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया

आज दिनांक 4–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस को जारी नोटिस तामिल शुदा/आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । सुनवाई के दौरान अपीलाण्ट के वकील व रेस्पोडेण्ट संख्या 1(1) से 1(6) तकव रेस्पोडेण्ट संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा उपस्थित हुये । जिनके द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा ने दौराने बहस जवाब पेश कर निवेदन किया कि श्री वागाराम पुत्र तोलाजी पुरोहित निवासी हालीवाडा ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2005 के द्वारा हीरालाल पुत्र पुनमाजी जाति पुरोहित निवासी टुआ को स्वंय की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पुराना खसरा नंबर 164 रकबा 7 बीघा 04 विस्वा किस्म पडत–ा का बेचान किया गया था । उक्त बेचान का नामान्तकरण दर्ज नही होने से एवं इस दरम्यान बेचानकर्ता श्री वागा (रेस्पोडेण्ट) की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारियों के नाम उक्त नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 के द्वारा फौतगी का नामान्तकरण दर्ज हुआ है। रेस्पोडेण्ट संख्या –1 मृतक वागाराम के उत्तराधिकारियों जबकि खाता परिर्वतन हो जाने से बेचान दस्तावेज के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नही हो पाने के कारण यह अपील आपके न्यायालय मे अनावश्यक रूप से विचारधीन है। अतः कृपया कर खदीददार श्री हीरालाल पुत्र पुनमाजी के नाम नामान्तकरण दायर किया जाता है तो श्री वागा के उत्तराधिकारी एवं ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। उक्त पंचायत की रिर्पोट पर मृतक रेस्पोडेण्ट वागाराम के उत्तराधिकारीगण श्री प्रकाश,सुबटी,गीता,भागु व उकी ने खरीददार श्री हिरालाल के पक्ष मे नया नामान्तकरण दायर करने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर करने का लिखा है।

उप-खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय अपील व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2015, मौजा हालीवाडा की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 205 खसरा नंबर 206 रकबा 1.16 हेक्टेयर व नामान्तकरण संख्या 236 व पंचायत हालीवाडा का जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील अपीलाण्ट, तहसीलदार, सिरोही व सरपंच ग्राम पंचायत हालीवाडा की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त तथ्यात्मक स्वीकृत स्थिति इस प्रकार है कि प्रकरण मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 तक के विरूद्व न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये है। पत्रावली के संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2005 के अनुसार श्री वागाराम पुत्र तोलाजी पुरोहित निवासी हालीवाडा ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 5–12–2005 के द्वारा हीलाल पुत्र पुनमाजी जाति पुरोहित निवासी दुआ को स्वंय की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पुराना खसरा नंबर 164 रकबा 7 बीघा 04 विस्वा किस्म पडत–ा का बेचान किया गया था । उक्त बेचान का नामान्तकरण दर्ज नही होने से एवं इस दरम्यान बेचानकर्ता श्री वागा (रेस्पोडेण्ट) की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारियों के नाम उक्त नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 के द्वारा फौतगी का नामान्तकरण दर्ज हुआ है। जबकि श्री प्रकाश, सुबटी, गीता, भागु व उकी ने खरीददार श्री हिरालाल के पक्ष मे नया नामान्तकरण दायर करने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर करने का लिखा है। इस प्रकार खाता परिर्वतन हो जाने से बेचान दस्तावेज के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नही हो पाने के कारण यह अपील इस न्यायालय मे अनावश्यक रूप से विचारधीन है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर विवेचनाधीन नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 6–4–2015 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट की यह अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्व रेस्पोडेण्टगण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत पेश करने का युक्तियुक्त पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार नया नामान्तकरण दायर करें । उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4–6–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र हालीवाडा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

04/06/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उप-खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुद्रा से जारी किया गया ।

04/06/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उप-खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)